उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या–77 / 2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बनाम् प्रतिक कुमार वगै0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
20/12/2021	– आदेश – प्राधिकृत्त पदाधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, राँची द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् आवेदन दायर किया गया है। दायर आवेदन में उधारकर्त्ता प्रतिक कुमार (Borrower) पिता रामानन्द प्रसाद एवं पूजा देवी, पति–प्रतिक कुमार (Guarantor) को विपक्षी बनाया गया है। निबंधन केवाला संख्या–2279 / 2214 दिनांक 13.12.2016 के अनुसार मौजा–नईसराय, थाना नं0–145, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ अर्न्तगत खाता नं0–27, खेवट नं0– 01, तोजी नं0–28, प्लॉट नं0–235, रकवा–02 डी0 भूमि, जिसकी चौहदी उत्तर–परती कदीम, दक्षिण–15 फीट चौडा रास्ता, पूरब–नागेश्वर सिंह, पश्चिम–नीज बिक्रेता का जमीन, संबंधित भूमि एवं उक्त भूमि पर बनी संरचना का दखल लेने हेतु प्राधिकृत्त पदाधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, राँची द्वारा अनुरोध किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद दायर करने की अगली तिथि से अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त दायर वाद के निष्पादन के निमित्त अपीलार्थी की रूचि नहीं हैं। अतः अपीलार्थी की उदासीनता को देखते हुए दायर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे। लेखापित एवं संशोधित। साधवी मिश्रा 20.12.2021 उपायुक्त, रामगढ़। साधवी मिश्रा 20.12.2021 उपायुक्त, रामगढ़।	

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.01.08 12:13:08 +05:30
Location: 192.168.0.9